रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241373
CG-DL-E-24122022-241373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944
No. 803]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/ PAUSA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 900(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6,8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करते हुए जन-हित में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अनुसूची III में, भाग ख में,-

(क) बेसल सं. ख 1110 के संदर्भ में, स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''पुन: उपयोग के लिए प्रयुक्त गंभीर देखभाल के लिए बने चिकित्सा उपकरण के अलावा हाई एंड और उच्च मूल्य प्रयुक्त चिकित्सा उपकरण (अनुसूची VI, ख 1110 में संबंधित प्रविष्टि पर ध्यान दें)**'';

(ख) टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''**वास्तविक उपयोगकर्त्ता द्वारा या मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) या वास्तविक उपयोगकर्त्ता की और से ओईएम या ट्रेडर की भारतीय सब्सीडेरी द्वारा देश में आयात की अनुमति;

हाई एंड और उच्च मूल्य वाले चिकित्सा उपकरण ऐसे चिकित्सा उपकरण हैं जो समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।"

[फा. सं. 23/104/2022-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 395 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016, सा.का.नि. संख्यांक 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. संख्यांक 544(अ), तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. संख्यांक 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2019; सा.का.नि. 641(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020; सा.का.नि. 47(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021; सा.का.नि. 798(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2021 और सा.का.नि. 593(अ), तारीख 21 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

G.S.R.900(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, in Schedule III, in Part B, -

(a) against Basel No. B1110, in column (2), after the entries, the following shall be inserted, namely: -

"High End and High Value Used Medical Equipment other than Used Critical Care Medical Equipment for re-use (note the related entry in Schedule VI, B1110) **";

(b) Before Note, the following shall be inserted, namely: -

''** Import permitted in the country by actual user or by Original Equipment Manufacturers (OEM) or Indian Subsidiary of OEM or Trader on behalf of actual user;

High End and High Value Medical Equipment is such medical equipment as specified by the Ministry of Health and Family Welfare from time to time.".

[F. No. 23/104/2022-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020 ; number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021; number G.S.R. 798(E), dated the 12th November, 2021 and number G.S.R. 593(E), dated the 21st July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.24 16:45:48 +05'30'